न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 695-पीबीआर/02 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.01.2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 352/1998-99/अपील

चन्दन सिंह पुत्र सरमन सिंह
निवासी ग्राम हाजीनगर तह0 करेरा जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन
.....अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक.....06/06/19.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 352/1998-99/अपील में पारित आदेश दिनांक 11.01.2002 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी ग्राम हाजी द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम हाजी की भूमि सर्वे क्र. किता-2 रवा 5.0 हे. पर आवेदक द्वारा अनाधिकृत कब्ज किए जाने बावत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.08.1987 को कब्जा हटाने एवं 1500/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जिसके विरुद्ध

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 28.04.1999 द्वारा निरस्त की जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 11.01.2002 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि आवेदक ने पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 09.10.1968 को भूमि स्वामी गजुआ से क्रय की थी। आवेदक विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। आवेदक के विरुद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण चलने योग्य नहीं है। ऐसी कार्यवाही एवं आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि बन्दोवस्त की कार्यवाही में त्रुटिवश विवादित भूमि शासकीय भूमि लिख दिए जाने के कारण आवेदक ने संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया था। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.05.98 द्वारा विवादित भूमि पर आवेदक का स्वत्व होना मान्य किया तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के निर्देश दिए। अर्थात आवेदक को अतिक्रामक मानने का कोई आधार न होते हुए भी पारित किए गए विवादित आदेश शून्यवत हैं।

4. अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि पूर्व भू-स्वामी गजुआ से क्रय की गई है एवं गजुआ को उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई है। पट्टे की भूमि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अंतरित नहीं की जा सकती है। इस कारण भूमिस्वामी द्वारा

किया गया प्रत्येक संव्यवहार शून्यवत ही होगा। उक्त आधार पर तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि से आवेदक का कब्जा हटाने एवं 1500/- अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ नयायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। इसके अतिरिक्त् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30.05.98 को संहिता की धारा 57(2) के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का स्वत्व मान्य किया है जो तहसीलदार के आदेश से काफी समय बाद पारित किये जाने से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा कार्यवाही से बचने के लिए अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में तथ्यों को छिपाते हुए अपने हित में आदेश पारित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर